मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10/01/07

<u>अधिसूचना</u>

क्रमांकएफ 6–12/98/अ–ग्यारह :: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 27) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मलित करते हुए, भोपाल में सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल का गठन करती है:–

अनुक्रमांक (1)	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	पदेन अध्यक्ष
अनुक्रमांक (2)	सूक्ष्म/लघु विनिर्माण या सेवा उद्यम के संघों का एक प्रतिनिधि	सदस्य
अनुक्रमांक (3)	प्रदेश के लीड बैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
अनुक्रमांक (4)	स्माल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
अनुक्रमांक (5)	लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर का एक प्रतिनिधि	सदस्य

2/ राज्य सरकार अनुक्रमांक (2), (3) और (4) के काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006 के नियम 3 के उपनियम (क) के उपबंध के अनुसार करेगी।

3/ मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्योग फेसीलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006 के नियम 2 के उपनियम (झ) के उपबंध के अनुसार काउंसिल का एक "सचिव" होगा।

4/ काउंसिल का अधिकारिता संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगी। काउंसिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अध्याय पांच और मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्योग फेसीलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006 में विनिर्दिष्ट ऐसे काउंसिल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10.1.07

(टी.सी. लोहनी)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग.

2.........................

पृ.0क्र0 एफ 6–12/98/अ–ग्यारह भोपाल,दिनांक 10 /01/07

प्रतिलिपिः–

1. उद्योग आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल.
2. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स,भोपाल की ओर अंग्रेजी अनुवाद की हस्ताक्षरित प्रति सहित संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।
3. आयुक्त,जनसंपर्क,मध्यप्रदेश भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10.1.07

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग